

असाधारण

EXTRAORDINARY प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 136] No. 136] दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 16, 2015/आश्विन 24, 1937 DELHL FRIDAY, OCTOBER 16 2015/ASVINA 24, 1937 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 123

[N.C.T.D. No. 123

भाग—IV

PART--IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

अर्घ एवं सांख्यिकी निदेशालय

एव

मुख्य पंजीकार (जन्म एवं मृत्यू)

अधिसुचना

दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2015

सं. फा. 02(60)/वी.एस./डी.ई.एस./2015/6521-6556.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 की उप-धारा (3) व धारा 2 की उप-धारा (1) के प्रावधान (च) तथा दिल्ली जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1999 के नियम 9 के उप नियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के महापंजीकार कार्यालय, गृह मंत्रालय भरत सरकार के 30 अप्रैल, 2015 के पत्र के अनुपालन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट तथा बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष को उन किशोरों के विलम्बित जन्म पंजीकरण के संबंध में जिनकी आयु को इनके द्वारा सत्यापित किया गया है ।

राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, राजेंद्र कुमार, प्रधान सचिव (योजना)

DIRECTORATE OF ECONOMICS & STATISTICS

AND

OFFICE OF THE CHIEF REGISTRAR (BIRTHS & DEATHS)

NOTIFICATION

Delhi, the 16th October, 2015

No. F. 2(60)/VS/DES/2015/6521-6556.— In exercise of the powers conferred by the sub-section (3) of section 13 read with clause (f) of sub-section (1) of section 2 of the Registration of Birth and Death Act, 1969 and sub-rule (3) of rule 9 of the Delhi Registration of Birth and Death Rules, 1999 and read with letter dated 30th April, 2015

4460DG/2015

issued by the Government of India, Ministry of Home Affairs in the office of Registrar General India, the Government of National Capital Territory of Delhi hereby authorize to the Principal Magistrate of Juvenile Justice Board (JJB)'s/ Chairperson of Child Welfare Committee, to issue birth order in respect of delayed birth registration of Juveniles whose age verification is done by them, in the National Capital Territory of Delhi.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

RAJENDRA KUMAR, Pr. Secy.(Plg.)

गृह (पुलिस-2) विभाग अधिसूचना

दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2015

सं. फा. 2/1/88/गृह पुलिस-2/8718.—चूँकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्याल इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा करना आवश्यक है :

इसिलये, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 2 के खण्ड (ई) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि दिल्ली पुलिस आयुक्त भी 19-10-15 से 18-01-16 तक की अविध के दौरान उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) की शक्तियों का प्रयोग निर्मेष प्राधिकारी के रूप में कर सकते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, आशीष कुमार, उप सचिव (गृह)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 16th October, 2015

No. F. 2/1/88-HP-II/8718.— Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is satisfied that it is necessary to do so;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the sub-section (3) of section 3, read with clause (e) of Section 2 of the National Security Act, 1980, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to direct that during the period 19-10-2015 to 18-1-2016 the Commissioner of Police, Delhi may also exercise the powers of detaining authority under sub section (2) of the section 3 of the aforesaid act.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,
ASHISH KUMAR, Dy. Secy (Home)